



पत्रांक 1211 रा0आ0सं0, राँची / दिनांक 19/10/24

आदेश

L.P.A No. 565/2022 में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक 27.07.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विज्ञापन संख्या 955 (C) दिनांक 08.03.2019 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के उपरान्त योगदान पत्र के साथ निदेशानुसार निम्नांकित आशय का शपथ-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

1. मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी तरह का अपराधिक मुकदमा नहीं चल रहा है या किसी भी मुकदमे में सजा नहीं हुयी है तथा कोई भी अपराधिक कार्य में संलिप्त नहीं है।
2. मैं इस संस्थान के विरुद्ध कोई भी धरना/प्रदर्शन/हड़ताल आदि, जिससे की मरीज का हित बाधित हो में शामिल नहीं रहूँगा।

उपरोक्त कंडिकाओं का अनुपालन नहीं करने पर मेरी नियुक्ति समाप्त करते हुए मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

Shah
19/10/24
प्रशासनिक पदाधिकारी
राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची
19/10/24